राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन,रेजीडेन्सी ऐरिया जयपुर

क्रमांकः एफ.19(1)(5)/यूनि/निवियो/2023 586 दिनांकः–09/4/2024

आदेश

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) (क) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत जोधपुर, बीकानेर एवं पाली संभाग के विशेष शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रमों के समस्त महाविद्यालय को छोड़कर शेष राज्य के विशेष शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रमों के समस्त महाविद्यालय (अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों के सिवाय) बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्धता प्राप्त करते हुए संचालित किये जाने के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा आदेश क्रमांक 19990 दिनांक 31.10.2023 जारी किया गया था।

उक्त आदेश के क्रम में यह संशोधन किया जाता है कि विशेष शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की संबद्धता की व्यवस्था पूर्व की भांति संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ तब तक यथावत जारी रहेगी जब तक कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा समुचित व्यवस्था कर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विशेष शिक्षा के संस्थानों से संबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित कर संबद्धता प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जाती। तदानुसार सभी संबंधितों द्वारा इसका अनुपालन किया जाए।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एच.गुईटे)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

RajKaj Ref
6483243

Signature valid
Digitally signed by Haulanlal Guite
Designation : Commissioner
Date: 2024.04.09 12:38:06 IST
Reason: Approved

क्रमांकः एफ.19(1)(5) / यूनि / निवियो / 2023 587-624 दिनांकः 09/4/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. कुलपति, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
12. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
13. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलपति, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
16. कुलपति, गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
17. कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
18. कुलपति, जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
19. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलपति, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू।
22. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
23. कुलपति, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
24. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
25. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
26. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
27. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
28. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
29. कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
30. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
31. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. कुलपति, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
33. कुलपति, डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर।
34. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
35. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।
36. कुलपति, राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
37. कुलपति, एम बी एम विश्वविद्यालय, जोधपुर।
38. कुलपति,महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर।

आयुक्त

RajKaj Ref
6483243

Signature valid

Digitally signed by Haulanlal Guite
Designation : Commissioner
Date: 2024.04.09 17:38:06 IST
Reason: Approved